



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम उ0नि0 शेरे आलम खाँ मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त श्याम करण राजपूत उर्फ आफत बाबा पुत्र काशी प्रसाद राजपूत उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जिला महोबा को अर्जुन सहायक नहर पुल बहद ग्राम रिछा को गिरफ्तार किया गया। **जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ।** जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 01/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

श्याम करण राजपूत उर्फ आफत बाबा पुत्र काशी प्रसाद राजपूत उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम रिछा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री शेरेआलम खाँ
2. का0 प्रियान्शू द्विवेदी



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



पनवाड़ी पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम उ0नि0 विनोद सिंह प्रभारी चौकी नगराघाट मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम लिधौरा खुर्द से **01 झोले में 42 क्वार्टर देशी शराब नाजायज** के साथ अभियुक्त राजकुमार राजपूत पुत्र धन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम लिधौरा खुर्द थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 02/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राजकुमार राजपूत पुत्र धन सिंह उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम लिधौरा खुर्द थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 श्री विनोद सिंह प्रभारी चौकी नगराघाट
- 2- का. पंकज कुमार
- 3- का. राघवेन्द्र कुमार




दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस ने वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० सूरज प्रसाद मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ से मु०न० 67/17 अ०स० 104/16 धारा 279/337/338/504 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी अभियुक्त दीपक पुत्र चतुर्भुज राजपूत उम्र करीब 51 वर्ष, निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

दीपक पुत्र चतुर्भुज राजपूत उम्र करीब 51 वर्ष, निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० सूरज प्रसाद
2. उ०नि० दशरथ सिंह
3. का० जयनारायण
4. महिला का० आकाँक्षा पटेल



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कबरई पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय

द्वारा गठित टीम उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्ता श्रीमती कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा को वर्मा तालाब कस्बा व थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **10 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ बरामद की गई**। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु०अ०सं० 01/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

श्रीमती कुसमी पत्नी मनोज कबूतरा उम्र करीब 45 वर्ष, नि०मु० वर्मा तालाब कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० महेन्द्र सिंह तोमर
2. कां० धरमवीर सिंह



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० कोतवाली नगर श्री शशि कुमार

पाण्डेय द्वारा गठित टीम उ०नि० उमेश कुमार मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम शाहपहाड़ी पेट्रोल पम्प के सामने से 01 नफर अभियुक्त रघुवीर अनुरागी पुत्र मातादीन अनुरागी उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपहाड़ी थाना कोतवाली नगर महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 18 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब ठेका बरामद हुयी। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 01/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रघुवीर अनुरागी पुत्र मातादीन अनुरागी उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपहाड़ी थाना कोतवाली नगर महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० उमेश कुमार
2. कां० रमाकान्त



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने तमंचा/कारतूस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी व शांति अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी चरखारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० अविनाश कुमार मिश्र मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम रिवाई बाजार से अभियुक्त तेजराम अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम रिवाई थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०सं० 01/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

तेजराम अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम रिवाई थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० अविनाश कुमार मिश्र
2. का० आशीष कुमार
3. का० रत्नाकर ओझा



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थाना प्रभारी चरखारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित 02 टीमों द्वारा अभियुक्त 1.

श्रीमती कलावती पत्नी दशरथ कबूतरा उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से 01 प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज तथा 2. अभियुक्त अली यादव पुत्र धांधू यादव उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम बगरौन थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से 25 क्वार्टर देशी शराब अवैध बरामद किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 02/2021 व 03/2021 धारा 60 EX. Act का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. श्रीमती कलावती पत्नी दशरथ कबूतरा उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।
2. अली यादव पुत्र धांधू यादव उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम बगरौन थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 सुनील कुमार
3. कां0 इन्द्रपाल चौहान
4. महिला का0 सोनाली कटियार
5. का0 चन्दन सिंह



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



कुलपहाड़ पुलिस ने अवैध शराब सहित 02 नफर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री रविन्द्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित सयुक्त टीम उ0नि0 छेदीलाल सिंह द्वारा मय हमराही कर्मचारीगणों की मदद से अभियुक्ता श्रीमती उषा पत्नी मइयर निवासी मुढ़ारी कबूतरा का डेरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा उम्र 30 वर्ष को घटनास्थल वीरेन्द्र कबूतरा डेरा के घर के पास बहद ग्राम मुढ़ारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के कब्जे से **01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 16 लीटर कच्ची देशी मुहआ शराब नाजायज बरामद** किया गया। इसी क्रम में द्वितीय टीम ने उ0नि0 अनमोल सिंह चौकी प्रभारी बेलाताल द्वारा मय हमराही कर्मचारीगणों की मदद से एक अभियुक्ता श्रीमती सपना पत्नी रिकू कबूतरा निवासी गोरा तालाब कबूतरा डेरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा उम्र 30 वर्ष के कब्जे से **01 प्लास्टिक की पिपिया में अवैध 10 लीटर कच्ची देशी शराब के साथ गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्ता गणों के विरुद्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 01/2021 व 02/2021 धारा 60 EX ACT का अभियोग पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गयी।



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- (1) श्रीमती उषा पत्नी मइयर निवासी मुढ़ारी कबूतरा का डेरा थाना कुलपहाड़ जिला महोबा उम्र 30 वर्ष ।
- (2) श्रीमती सपना पत्नी रिकू कबूतरा निवासी गोरा तालाब कबूतरा डेरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा उम्र 30 वर्ष ।

बरामदशुदा माल का विवरण:-

1.02 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 26 लीटर कच्ची देशी मुहआ शराब नाजायज बरामद होना ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

प्रथम टीम का विवरण:-

- (1)उ छेदीलाल सिंह 0नि0
- (2)उरघुनाथ यादव 0नि0
- (3)महिला कां प्रिया सिंह 0

द्वितीय टीम का विवरण:-

- (1)उ (चौकी प्रभारी बेलाताल) अनमोल सिंह 0नि0
- (2)हेरामसूचित तिवारी 0का0
- (3)हेसूरज सिंह 0का0
- (4)कांपवन कुमार 0
- (5)महिला कां सुनीता देवी 0



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



श्रीनगर पुलिस द्वारा गाँजा सहित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब / गाँजा के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम उ० नि० मो सुल्तान मय हमराह कां० प्रशांक कुमार द्वारा ०१ नफर अभियुक्त श्याम तिवारी पुत्र छोटेलाल तिवारी मोहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा के कब्जे से ३५० ग्राम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. ००१/२१ धारा ८/२० एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि.को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

उ०नि० मो सुल्तान
कां० प्रशांक कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

१. श्याम तिवारी पुत्र छोटेलाल तिवारी मोहल्ला देवबाग कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा।



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



महोबकंठ पुलिस ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब बरामदगी धर पकड़ अभियान के तहत मे थानाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह थाना महोबकंठ महोबा के कुशल निर्देशन में गठित टीम उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह कां0 मनोज कुमार व म0 कां0 आराधाना देवी द्वारा अभियुक्ता श्रीमती हीना पत्नी श्री राम कबूतरा उम्र

करीब 30 वर्ष नि0 कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को एवं उनके कब्जे से 15 लीटर देशी शराब कच्ची मुहआँ नाजायज बरामद कर ग्राम कबूतरा डेरा सौरा से गिरफ्तार किया एवं अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 01/2021 धारा 60 Ex Act थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0सचिन कुमार
- 2.कां0 मनोज कुमार
- 3.म0 कां0 आराधाना देवी

माल बरामदगी- 15 लीटर देशी शराब कच्ची मुहआँ नाजायज बरामद होना ।

अभियुक्ता का नाम व पता—

- 1.श्रीमती हीना पत्नी श्री राम कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष नि0 कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा ।



दिनांक:- 01.01.2021

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल



नव वर्ष पर जनपद महोबा मे चलाया गया सघन चेकिंग अभियान एवं कोविड-19 के प्रति लोगों को किया गया जागरूक एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

आज दिनांक 01.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के सभी थाना क्षेत्रों में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत जनपद के थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, मुसाफिर खाना, बाजार, चौक आदि स्थानों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत जाति सूचक व अन्य चिन्ह अंकित कर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गयी एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर 16 ई- चालान किये गये।

जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

